न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/47/2022 तारीख रजू..............................

त्रिलोक चन्द बनाम राजेन्द्र कौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना - पत्र मय दावा प्रार्थी के वकील ने मूल वाद पत्र [illegible] रिपोर्ट [illegible] के साथ पेश किया। कायमि [illegible] दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी [illegible] जरिए नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पैरवी वास्ते दिनांक 14/3/22 को पेश हो SDOK	
14/3/22	वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश दिनांक.............................. की पालना में पैरवी वास्ते वलकी रजि० डाक जारी दिनांक 15/3/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/3/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। पूर्व आदेश दिनांक 25/2/22 की पालना में पैरवी वास्ते तलबी रजि० डाक से जारी दिनांक 21/3/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
21/3/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] 25/3/22 [illegible] तलबी रजि० डाक से दिनांक 28/3/22 [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	(प्रेरनापत्र) प्रतिवादी राजेन्द्र की ओर से UT. देता हूँ Sd/-
28/3/22	पुकार [illegible] [illegible] 14.(.) पत्रावली दिनांक 30/3/22 को पेश हो [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/6/22	वकुलाम .... उपस्थित साधिक आदेश दिनांक .... तलबीनात GENTI हेतु नोटिस की पालना में पत्रा ली जाती .... जारी दिनांक 22/6/22 .... को पेश हो। व अहलमद कार्यवाही [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
22/6/22	वकुलाम उप० / पत्रावली पेश हुई / वकुलाम पक्ष की बहस सुनी गई / वास्ते आदेश दिनांक 24/6/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
24/6/22	पत्रावली पेश हुई वकुलाम उप० [illegible] प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत PTM स्वीकार किया जाता है। गैरसायल का ता दावा, फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो [illegible] खसरा 12 रकबा 0.68 हे० वाके ग्राम [illegible] तहत कानून में सायल के हिस्सा मुताबिक कब्जे काश्त में किसी तरह की रुकावट मजाहमत पैदा ना करे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत PTM शामिल होकर [illegible] के [illegible] वो मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/47/2022

वउनवान

1. त्रिलोकचन्द पुत्र रामखिलाडी जाति जाटनिवासी नागलवासगुमान तहसील लक्ष्मणगढजिला अलवर ।

------ सायल

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
2. मायादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
3. रामोतार पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
4. हितेशकुमार पुत्र रामोतार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
5. हरिसिंह पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
6. धर्मसिंह पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
7. गंगा पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
8. जमना पत्नी रामोतार जाति जाट निवासी बहतुखुर्द तहसील कठूमर
9. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री गिरधारीलाल शर्मा- अधिवक्ता सायल

श्री ओमवीरसिह चौधरी- अधिवक्ता गैरसायल सं0 1

आदेश दिनांक 24.06.2022

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 12 रकवा 0.68 हे. ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर में स्थित हैजोआराजी सायल के 49/136 हिस्सा व शेष आराजी गैरसायल सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 की शाामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी सायल एंव गैरसायल सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।सायल एंव गैरसायलान के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलवकियागया। सायल के प्रार्थना पत्र पर गैरसायल सं0 2 ला0 8 का नाम तर्क किया गया।

गैरसायलानने हाजिर अदालत होकर अपनाजवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायल ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अपने 49/136 हिस्सा को गैरसायल को कीमतन 800000 रूपया अक्षरे आठ लाख रूपया मे वेचान कर दिया है। जिसके लिये गैरसायल सं0 1 ने अपना प्लाट जो वख्तल (अलवर) में था वेच दिया व वेचान से प्राप्त रकम सायल को दे दी लेकिन सायल के मन में अव बदयान्ति आ गई है जिस कारण सायल द्वारा गैरसायल सं0 1 को बेची गई आराजी का वयनामा नहीं कराना चाहता जवकि दिनांक 09.06.2021 को ही सायल ने अपने हिस्सा की आराजी का कब्जा गैरसायल सं0 1 को दे चुका और तभी से ही गैरसायल सं0 1 उक्त आराजी 49/136 हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायल का विवादित आराजी 49/136 हिस्सा से अव कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायल का उक्त आराजी पर अर्सा करीब एक साल से कब्जा नहीं है। सायल ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है। सायल का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल सं0 1 के पक्ष में सावित है। अतःसायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।अधिवक्ता गैरसायल ने अपने कथनों की पुश्टि में नकल सत्यप्रतिलिपी वयनामा दिनांक 09.06.2021 व इस्तगासा दिनांक 24.02.2022 की सत्य प्रतिलिपी पेश की है।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073से 2076 वाके ग्राम बहतुखुर्दकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलको अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी में सायल ने अपना हिस्सा दिनांक 09.06.2021 को गैरसायल सं0 1 से 800000 रूपया लेकर वेचान कर दिया है तथा कब्जा करा दिया। जिसके लिये गैरसायल ने बख्तल (अलवर) स्थित प्लाट को वेचा है लेकिन सायल के मन में अव बदयान्ति आ रही है जो अव उक्त आराजी का वयनामा प्रार्थी के हक में नहीं करा रहा है। सायल गैरसायल सं0 1 से और पैसों की मांग करता है। सायल वेचान की राशि गैरसायल से प्राप्त कर कब्जा गैरसायल को दे चुका है। सायल का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है। सायल ने तथ्यों को छुपाकर न्यायालय श्रीमान में स्टे प्रार्थना पत्र पेश किया है सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायल सं0 1 द्वारा प्रस्तुतजवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल ने कथन किया कि सायल ने अपना हिस्सा गैरसायलसं01 को 800000 रूपया नकद लेकर वेचान कर दिया व कब्जा करा दिया। अव सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त तथा हक व अधिकार नहीं है। विवादित आराजी में सायल का हिस्सा गैरसायल सं01 ने जरे वय देकर खरीद किया हो व गैरसायल का विवादित आराजी पर कब्जा हो इस तरह का गैरसायल ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी का सायल एंव गेरसायलान की शामलात

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

खातेदारी की होने का अनुमान किया जाता है। सायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। हिस्सानुसार सायल का विवादित आराजी पर कब्जा प्रतीत होता है।यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गेरसायलान सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करेगें। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है।प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 12 रकवा 0.68 हे. वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर में सायल के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावटव मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा नाकरे।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 24.06.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

कठूमर (अलवर)